

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. मा. 53/20

डा. जयप्रकाश शर्मा

Vs.

रविशंकर झा

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action with d
1	2	3	4
	<u>20.8.23</u>	उमयपक्ष की वादी की ओर से रविशंकर झा के प्रपोज किए गए कोर्ट परामर्श का कार्य सौंप दिया गया है। कोर्ट परामर्श दिनांक 31.8.23 तक कोर्ट परामर्श दायित्व रहेगा। कोर्ट परामर्श दिनांक 31.8.23 तक कोर्ट परामर्श दायित्व रहेगा।	
	<u>31.8.23</u>	उमयपक्ष की वादी की ओर से रविशंकर झा के प्रपोज किए गए कोर्ट परामर्श का कार्य सौंप दिया गया है। कोर्ट परामर्श दिनांक 31.10.23 तक कोर्ट परामर्श दायित्व रहेगा। कोर्ट परामर्श दिनांक 31.10.23 तक कोर्ट परामर्श दायित्व रहेगा।	
	<u>31-10-2023</u>	<u>वाद बिन्दु का निर्धारण</u> उमय पक्ष की वादी की ओर से उमय पक्ष के अभिव्यक्त, वादी की ओर से	

In the Court of Sub-Judge, Teghra

Case No. Money Suit 03/2020

..... Gajendra Narayan Rai Vs. Deepak Yadav & others

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लोगानार 31-10-2023	द्वारिवाल प्रस्तावित वाद बिन्दूओं का अवलोकन पश्चात् प्रस्तुत वाद में वादु-बिन्दु का निर्धारण किया गया। वादी को निर्देश दिया जाता है कि साक्षियों की सूची सहित साक्ष्य प्रस्तुत करें। वाद दिनांक <u>09-01-24</u> को वादी साक्ष्य देंगे। for 31/10/2023 Sub-Judge Teghra.	
	<u>9.11.24</u>	वादी का समय आवेदन दिया गया। प्रतिकारी की राय दी गई। वदु दिनांक 14-3-24 को वादी का समय देना। लवणी का 19-3-24	
	<u>19-3-24</u>	वादी की समय आवेदन दिया गया, प्रतिकारी की राय दी गई। वदु दिनांक 14-3-24 को वादी का समय देना। लवणी का 14-3-24	

In the Court of Sub Judge, Teghra

Money Suit No. 03/2020

Gajendra Narayan Rai

.....Plaintiff.

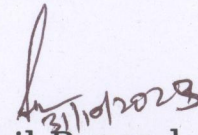
vs.

Deepak Yadav & Other

..... Defendant.

Issues

- 1) Whether the suit as framed is maintainable?
- 2) Whether the plaintiff have got any valid cause of action or right to sue?
- 3) Whether the suit is bad in view of principal of estoppel, waiver & acquiescence and barred by law of limitation or by any other law?
- 4) Whether the suit is properly valued and proper court fee has been paid?
- 5) Whether the suit suffers from non- joinder and mis- joinder of necessary parties?
- 6) Whether the defendants have taken loan from the plaintiff and did not return the same?
- 7) Whether the plaintiff is entitled to recover Rs. 3,57,000 from the defendants?
- 8) Whether the plaintiff is entitled to get the relief as claimed?


Sushil Prasad
Sub Judge, Teghra
31.10.2023